

## नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने पुराने और अप्रचलित कानूनों को नरिस्त करने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876 का संदर्भ दिया।

- यह कानून अंग्रेजों द्वारा उभरती भारतीय राष्ट्रवादी भावना पर अंकुश लगाने के लिये बनाए गए कानूनों में से एक था।
- संवधान का अनुच्छेद 372 स्वतंत्रता-पूर्व कानूनों को लागू रहने की अनुमति देता है, लेकिन औपनिवेशिक कानूनों में संवैधानिकता की धारणा का अभाव है, जिसके कारण चुनौती दी जाने पर सरकार को बचाव की आवश्यकता होती है।
- नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876 ने सरकार (ब्रिटिश) को "सार्वजनिक नाट्य प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने" की शक्तियाँ दीं, जो नदिनीय, अपमानजनक, राजद्रोही या अश्लील हैं।
  - इस अधिनियम को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने [2018] [2018] [2018] [2018] [2018] [2018] [2018] [2018], 1956 में असंवैधानिक घोषित किया था। अप्रचलित कानूनों को हटाने के सरकार के प्रयास के तहत वर्ष 2018 में इस कानून को औपचारिक रूप से नरिस्त कर दिया गया था।
- वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1878 और 1870 का राजद्रोह कानून इस अवधि के दौरान राष्ट्रवादी गतिविधियों को दबाने और औपनिवेशिक शासन के वरिध को दबाने के लिये बनाए गए कठोर कानूनों में से थे।

और पढ़ें: [प्रेस, नयितकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधियक, 2023](#)